300 स्था स्वा स्वा स्वा प्राची अंग (ज्हा डिं) मुख्य परीशा-2015

No. of Printed Pages: 8

NSP-04

2015

विधि (साक्ष्य एवं प्रक्रिया) प्रश्न पत्र - ॥

LAW (Evidence and Procedure) Paper - II

निर्धारित समय : तीन घण्टे।

[पूर्णांक : 200

Time allowed: Three Hours]

[Maximum Marks: 200

नोट :

अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है तथा अन्य **चार** प्रश्न करने हैं । प्रत्येक खण्ड से **एक** प्रश्न करना अनिवार्य है । कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं । हालाँकि **सभी** प्रश्नों के समान अंक हैं । **एक** प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यत: एक साथ दिया जाय ।

Note: Candidates should attempt question No. 1 as compulsory and four more. At least one question must be attempted from each section. In all five questions are to be answered. Marks carried by each question have been indicated against the question. However, all questions carry equal marks. The parts of same question must be answered together.

1. राजकुमार और रीता राठौर के मध्य 10.5.2013 को विवाह हुआ और दोनों लगभग नौ माह तक पित और पत्नी के रूप में साथ रहे । पित का वाद यह है कि दोनों पक्षकार जिला न्यायालय में भिन्न स्थानों पर नियोजित थे । राजकुमार का स्थानान्तरण जिला न्यायालय देहरादून हो गया, और उसने देहरादून में रहना शुरू कर दिया । दोनों के संयुक्त प्रयास से, वे रीता राठौर का स्थानान्तरण पिथौरागढ़ से देहरादून कराने में सफल हो गये । पत्नी रीता राठौर गर्भवती हो गई, और वह अपने माता-पिता के घर नैनीताल चली गई, पित का वाद है कि फरवरी 2014 में पत्नी ने माता-पिता के घर नैनीताल में प्रसव कराने के लिए देहरादून छोड़ दिया और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आई और पित के साथ कभी नहीं रही । पक्षकार फरवरी 2014 से पृथक रह रहे हैं, और 2.6.2014 को उनको एक बालक पुत्र पैदा हुआ । पित ने आरोप लगाया कि उसके अनुरोध के बावजूद भी, रीता रौठार अपने बच्चे के साथ, माता-पिता के घर नैनीताल में लगातार रह रही है, जबिक उसका स्थानान्तरण देहरादून हो गया है तथा उसने देहरादून में पित के साथ रहने से मना कर दिया है और उसने अपने को नैनीताल जिला न्यायालय में समायोजित कर लिया है ।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के विभिन्न आधारों पर रीता राठौर के विरुद्ध विवाह-विच्छेद के लिए एक वाद पत्र का प्रारूप बनाइए ।

उपर्युक्त वाद पत्र के उत्तर के प्रतिवादी रीता राठौर की ओर से लिखित कथन का प्रारूप भी लिखिए ।

10

Marriage between Rajkumar and Rita Rathore solemnized on 10-5-2013 and both of them resided together as husband and wife for about nine months. Case of the husband is that both parties were employed in District Court at different places. Rajkumar was transferred to District Court Dehradun, and he started living at Dehradun. By their joint efforts, they were able to get the Rita Rathore transferred from Pithoragarh to Dehradun. The wife Rita Rathore became pregnant and she went to her parents house at Nainital, case of the husband is that in February 2014, wife left Dehradun for delivery at the parent house Nainital and thereafter, she never came back and never stayed with husband. Parties are said to have separated since February 2014 and a male child was born out of wedlock at Nainital on 2-6-2014. Husband alleged that despite his request, Rita Rathore continued to stay with her child at her parents house at Nainital, and inspite of her transfer to Dehradun, she refused to join husband at Dehradun and instead she got adjust at Nainital District Court.

Draft a plaint for divorce against Rita Rathore on the various grounds of Hindu Marriage Act, 1955.

In reply to the above plaint, draft a written statement on behalf of defendant Rita Rathore.

अथवा / OR

24.7.2015 को प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र, जवालापुर (हिरद्वार) में नसबंदी शल्य-क्रिया किये जाने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया । इस शिविर में मृतक मीनाक्षी देवी को नसबंदी शल्य चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया । वादी ने यह तर्क दिया कि उस समय मूल प्रतिवादी संख्या 1 आर.एस. उपाध्याय और मूल प्रतिवादी संख्या 2 डॉ. सुनील निगम, प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र, जवालापुर में कार्य कर रहे थे, और मूल प्रतिवादी संख्या 3 एस.के. कुशवाहा जिला चिकित्सालय, हिरद्वार में डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहा था । प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती शिवानी प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र, जवालापुर में एक नर्स थी । यह कहा गया कि राज्य के निदेशन से जवालापुर में नसबंदी शिविर आयोजित किया गया, जहाँ पर नसबंदी शल्य चिकित्सा से पहले प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मीनाक्षी को कुछ सूई (इंजेक्शन) लगाये । इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी स्थिति खराब होने लगी और वह बेहोश हो गई और इसके बाद, उसको जिला चिकित्सालय अग्रसारित कर दिया गया और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई । यह तर्क दिया गया कि मृत्यु उपेक्षा के कारण हुई है और मृतक मीनाक्षी को गलत इंजेक्शन लगाया गया । यह भी तर्क दिया गया कि मृतक एक शिक्षिका थी, उसकी उम्र 28 वर्ष की थी और प्रतिमाह ₹ 25,000 कमाती (आय) थी ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण बनाकर विवाद्यक बिन्दु बनाइए, विधिक उपबंधों और निर्णयज विधि की सहायता से निर्णय लिखिए ।

On 24-7-2015, a health camp was organized at Primary Health Centre, Jawalapur (Haridwar) for conducting Tubectomy (Nasbandi) operation. In such camp, deceased Meenakshi Devi was admitted to undergo the operation for Tubectomy. It was pleaded by plaintiff that original defendant No. 1 R.S. Upadhyay and original defendant No. 2 Dr. Sunil Nigam, were working at Primary Health Center, Jawalapur and original defendant No. 3 S.K. Kushwaha was working as Doctor in District Hospital, Haridwar. Defendant No. 4 Smt. Shivani was a nurse in Primary Health Centre, Jawalapur. It was stated that at the direction of state, Tubectomy camp was organized at Jawalapur wherein before Tubectomy operation, at the instance, of defendant No. 1 to 3, some injections were administered to Meenakshi Devi. After giving injection, her condition started deteriorating and she lost her sense and thereafter, she was referred to District Hospital and eventually she died. It was pleaded that the death was caused due to negligence and administration of wrong injections to the deceased Meenakshi Devi. It was further pleaded that deceased was a teacher, aged about 28 years and used to earn ₹ 25,000 per month.

On the basis of above facts prepare a case, frame the issues and decide the case by supporting legal provisions and case law.

NSP-04 2

- 2. (अ) (i) "हर वाद की विरचना यावत्साध्य ऐसे की जायेगी कि विवादग्रस्त विषयों पर अन्तिम विनिश्चय करने के लिए आधार प्राप्त हो जाये और अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो जाये ।" इस कथन के सन्दर्भ में वाद की विरचना का निर्वचन कीजिए ।
 - (ii) "क" स्थावर सम्पत्ति "ख" को वार्षिक भाटक पर पट्टे पर देता है । सन् 1905, 1906 तथा 1907 इन सभी वर्षों का भाटक शोध्य है और नहीं दिया गया है और "क" द्वारा 1908 में "ख" पर केवल सन् 1906 के शोध्य भाटक के लिए वाद लाने के पूर्व ही किरायेदारी को अवधारित किया जाता है । इस वाद में "क" के पास किस प्रकार का उपचार उपलब्ध है ? निर्णय दीजिए ।
 - (ब) न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा की प्रक्रिया क्या है ? न्यायालय सिविल वाद में किस प्रकार का विधिक निदेश देगा और उत्तर देने में प्लीडर के इन्कार का या उत्तर देने में उसकी असमर्थता का पिरणाम क्या है ? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
 - (स) निर्णय और डिक्री सुनाते समय न्यायालय किन-किन बातों को ध्यान में रखेगा ? इस सम्बन्ध में सन् 1976 के संशोधनों के गुण और दोषों का विश्लेषण कीजिए ।
 - (a) (i) "Every suit shall as far as practicable be framed so as to afford ground for final decision upon the subject in dispute and prevent further litigation." In the context of this statement interpret the framing of suit.
 - (ii) A lets immovable property to B at a yearly rent. The rent for the whole of the year 1905, 1906 and 1907 is due and unpaid, and the tenancy is determined before A sues B in 1908, only for the rent due for 1906. In this case, what kind of remedy can be availed by A? Decide.
 - (b) What is the procedure of examination of parties by the court? What kind of legal directions shall be given by the court in civil suit and what are the consequences of refusal or inability of pleader to answer? Critically examine.
 - (c) What shall be considered by the court at the time of pronounce of judgment and decree? Analyse the merit and demerit of 1976 amendments in this regard.
- 3. (अ) ऐसी सम्पत्ति की गणना कीजिए जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी और इसे कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेगी । इस विधिक प्रावधान में राज्यों के संशोधनों की भी व्याख्या कीजिए । **20**
 - (ब) इस कथन का व्याख्यात्मक परीक्षण कीजिए कि "अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग इसिलए नहीं किया जा
 सकता कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को अकृत बनाया जाए" अपने उत्तर के समर्थन में किसी
 सुप्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख कीजिए ।
 - (स) न्यायालय कब निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन कर सकती है ? क्या न्यायालय ऐसे डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शिक्त रखती है, जहाँ अपील संक्षेपत: खारिज की जाती है ? परीक्षण कीजिए ।

- (a) Enumerate the list of property which is liable to attachment and sale in execution of a decree, and shall not be liable to such attachment or sale. Explain state amendments also in the said legal provisions.
- (b) Critically examine this statement that "Inherent powers of the court cannot be exercised so as to nullify the provisions of the Civil Procedure Code". Support your answer by leading judgment.
- (c) When court can amend judgment, decree or order? Whether court has power to amend decree or order where appeal is summarily dismissed? Examine.
- 4. (अ) सिविल प्रक्रिया में किसको गिरफ्तार किया जा सकता है और किसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ? सिविल न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से किसको छूट दी जाती है ? व्याख्या करें । 20
 - (ब) शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत क्या प्रावधान हैं ? इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड में लागू उत्तर प्रदेश के क्या संशोधन हैं ? विवेचना कीजिए । 10
 - (स) न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में उपबंधित प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए । इन प्रावधानों को सुदृढ़ किये जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए ? टिप्पणी कीजिए ।
 - (a) Who can be arrested and who can not be arrested under civil process? Who are exempted from personal appearance before civil court? Explain.
 - (b) What are the provisions under Civil Procedure Code for oath on affidavit by whom to be administered? What are the amendments of Uttar Pradesh as applicable in Uttarakhand in this regard? Discuss.
 - (c) Critically analyse the provisions as prescribed by Civil Procedure Code for settlement of disputes outside the court. What should be done for strengthening these provisions? Comment.
- 5. (अ) तथ्य विवाद्यकों का अवधारण द्वितीय अपील में करने की उच्च न्यायालय की शक्ति क्या है ? उच्चतम न्यायालय में अपीलों कब होगी ? अपीली डिक्रियों और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया क्या है ? व्याख्या करें ।
 - (ब) वादियों और प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किये जा सकेंगे ? न्यायालय पृथक विचारण के लिए कब और क्या पृथक आदेश पारित कर सकता है ? पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन का प्रभाव क्या है ? पक्षकार कुसंयोजन और असंयोजन के सम्बन्ध में आपत्तियाँ कब कर सकते हैं ? व्याख्या करें।
 - (a) What is the power of High Court to determine issues of facts in second appeal? When appeals lie to the Supreme Court? What is the procedure in appeals from appellate decrees and orders? Explain.
 - (b) Who may be joined as plaintiffs and defendants? What and when court can pass an order for separate trials? What is the effect of mis-joinder and non-joinder of parties? When parties can make objections as to non-joinder or mis-joindor? Explain.

NSP-04

6. (अ) निम्नलिखित के मध्य अन्तर कीजिए:

- $5 \times 4 = 20$
- (i) अन्वेषण डायरी और अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट
- (ii) आरोप की अन्तर्वस्तु और गिरफ्तारी के वारण्ट की अन्तर्वस्तु
- (iii) पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा की जानेवाली प्रक्रिया, जहाँ अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता और जहाँ अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा ।
- (iv) न्यायालय की बन्दियों और जमानत में छोड़े गये व्यक्तियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति ।
- (ब) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश और कई अपराधों के लिए एक ही विचारण के प्रावधान क्या हैं ? निर्णयज विधि की सहायता से व्याख्या करें । 10
- (स) कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए प्रक्रिया की अनेक परिभाषाओं सहित प्रावधानों की संक्षिप्त में व्याख्या करें।
- (a) Distinguish between the following:
 - (i) Investigation Diary and Report of Police Officer on completion of investigation.
 - (ii) Contents of charge and contents of warrant of arrest.
 - (iii) Procedure when accused is not discharged and when accused shall be discharged by Magistrate in cases instituted otherwise than on police report.
 - (iv) Power of court to require attendance of Prisoners and Persons released on Bail.
- (b) What are the provisions under criminal procedure code for sentence of imprisonment in default of fine and in cases of several offences at one trial? Explain with case law.
- (c) Explain in short provisions with various definitions of reciprocal arrangements for assistance in certain matters and procedure for attachment and forfeiture of property.
- 7. (अ) (i) सुसंगत विधिक प्रावधानों की सहायता से भरण-पोषण की प्रक्रिया, भत्ते में परिवर्तन और भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन की विवेचना कीजिए । 10
 - (ii) क्या श्वसुर और सास विधवा पुत्रवधू से भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं, जब उसने (पुत्रवधू) मृत पति के स्थान पर नौकरी प्राप्त की है ? अपने उत्तर के समर्थन में निर्णयज विधि का उल्लेख करें ।
 - (ब) यौन अपराधों और मानिसक तथा शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने की दण्ड प्रक्रिया में अन्तर्गत विधिक आवश्यकताओं की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
 - (स) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध जब साक्ष्य अपर्याप्त और जब साक्ष्य पर्याप्त पाये जाएँ, ऐसे उपबंधों का परीक्षण कीजिए । 10

- (a) (i) Discuss the procedure of maintenance and alteration in allowance and enforcement of order of maintenance with support of relevant legal provisions.
 - (ii) Whether father-in-law and mother-in-law are entitle to get maintenance from widowed daughter-in-law, when she has obtained job in place of deceased husband? Support your answer by case law.
- (b) Critically examine the legal requirements in recording of confessions and statements in sexual offences and mentally and physically disabled persons under criminal procedure.
- (c) Examine those provisions when evidence found by police is deficient and when evidence is sufficient against accused under criminal procedure code.
- 8. (अ) (i) न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन के उपबंधों का परीक्षण कीजिए और इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सन् 2013 के संशोधनों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
 - (ii) क्या सरकारी कम्पनियों के अधिकारी या लोक उपक्रमों के अधिकारी भी जब ऐसा लोक उपक्रम राज्य हो, न्यायाधीश और लोकसेवक विधि के अभियोजन में प्रावधानों के अन्तर्गत संरक्षण के हकदार हैं ? अपने उत्तर के समर्थन में निर्णयज विधि का उल्लेख करें ।
 - (ब) 'क' पर 21 जनवरी, 1882 को खुदाबख्श की हत्या करने का आरोप है, वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदरबख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी, 1882 थी। 'क' पर कभी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मिजस्ट्रेट के सम्मुख हुई जाँच को सुना था, जिसमें हैदरबख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों से क्या अनुमान लगा सकता है ? निर्णीत करें।
 - (स) सन् 2013 के संशोधनों सिहत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पीडित प्रतिकर स्कीम का परीक्षण कीजिए । यह स्कीम कहाँ तक प्रतिकर देने के आदेश और निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर से पृथक है ? विवेचना करें ।
 - (a) (i) Examine the provisions of prosecution of judges and public servants and critically analyze amendment of 2013 in this regard as prescribed under criminal procedure code.
 - (ii) Whether officers of Government companies or public undertaking even when such public undertakings are state, entitle to get protection under the provision of prosecution of judges and public servant law? Support your answer by case law.
 - (b) "A" is charged with the murder of Khuda Baksh on the 21st January, 1882, in fact the murdered person's name was Haidar Baksh, and the date of murder was the 20th January, 1882. "A" was never charged with any murder but one, and had heard the inquiry before the Magistrate, which referred exclusively to the case of Haidar Baksh. What can be inferred by court from these facts? Decide.
 - (c) Examine the victim compensation scheme provided under Criminal Procedure Code with amendment of 2013. How far this scheme is different from order to pay compensation and compensation to those persons who were groundlessly arrested? Discuss.

- 9. (अ) (i) सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है, का परीक्षण कीजिए, जबिक नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील सुसंगत है। विश्लेषण कीजिए। 10
 - (ii) दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है, जबिक कितपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य सुसंगत नहीं हैं । इस प्रकार विधि यह है कि उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुवाशील सुसंगत नहीं है । आलोचनात्मक विश्लेषण करें ।
 - (ब) 'क' अपनी पत्नी 'ग' के साथ जारकर्म करने के लिए 'ख' का अभियोजन करता है । 'ख' इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि 'ग', 'क' की पत्नी है, किन्तु न्यायालय 'ख' को जारकर्म के लिए दोष सिद्ध करता है । तत्पश्चात् 'क' के जीवनकाल में 'ख' के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिए 'ग' अभियोजित की जाती है । 'ग' कहती है कि वह 'क' की पत्नी कभी नहीं थी । 'ग' के विरुद्ध द्विविवाह का अपराध किये जाने में, 'ख' के विरुद्ध दिये गये निर्णय की सुसंगतता निर्णीत कीजिए ।
 - (स) 'ग' की हत्या करने के लिए 'क' का विचारण हो रहा है । यह दिशत करने के लिए साक्ष्य है कि 'ग' की हत्या 'क' और 'ख' द्वारा की गई थी और यह है कि 'ख' ने कहा था कि 'क' और मैंने 'ग' की हत्या की है । क्या 'ख' का कथन न्यायालय द्वारा 'क' के विरुद्ध सुसंगत साक्ष्य के रूप में विचार किया जा सकता है ।
 - (a) (i) Examine the provisions that in civil cases character to prove conduct imputed irrelevant, whereas, character as affecting damages is relevant. Analyse.
 - (ii) In criminal cases, previous good character is relevant, however, evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases. Thus, the law is that previous bad character is not relevant, except in reply. Critically analyse.
 - (b) "A" prosecutes "B" for adultery with "C", A's wife. "B" denies that "C" is A's wife but the court convicts "B" of adultery. Afterwards, "C" is prosecuted for bigamy in marrying "B" during A's lifetime. "C" says that she never was A's wife. Decide the relevancy of judgment against "B", for offence of bigamy against "C"
 - (c) "A" is on his trial for murder of "C". There is evidence to show that "C" was murdered by "A" and "B", and that "B" said "A" and I murdered "C". Whether the statement of "B" may be taken into consideration as relevant evidence by the court, against "A".
- 10. (अ) वे दशाएँ जिनमें पुख्त व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का कथन सुसंगत है जो मर गया है, की संक्षिप्त विवेचना कीजिए । अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरणों को दीजिए ।
 - (ब) उच्चतम न्यायालय के निर्णीत वाद पर आधारित अपने विधिक विचारों की अभिव्यक्ति कीजिए कि क्या समाचार पत्र रिपोर्ट मौखिक साक्ष्य, या दस्तावेजी साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य है ? क्या यह विश्वसनीय है ? निर्णय दें ।
 - (स) (मुबिकल) कथनीकार 'क', अटर्नी 'ख' से कहता है "मैं सम्पत्ति पर कब्जा कूटरचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्राप्त करना चाहता हूँ और इस आधार पर वाद लाने में आपसे प्रार्थना करता हूँ ।" क्या यह संसूचना वृत्तिक संसूचनाओं के अन्तर्गत संरक्षित है ? उत्तर विधिक उपबंधों से समर्थिक होना चाहिए ।

NSP-04

- (a) Discuss in short the cases in which statement of relevant fact by person who is dead is relevant. Support your answer by illustrations.
- (b) Express your views based on decided case of Supreme Court that whether newspaper report is a oral evidence or documentary evidence or hearsay evidence? Whether it is reliable? Decide.
- (c) "A", a client, says to "B" an attorney "I wish to obtain possession of property by the use of forged deed on which I request you to sue". Whether this communication is protected under professional communications? Answer should be based on legal provisions.